

कार्यालय कलेक्टर कोरिया (छ0ग0)



क्रमांक/का.बंधुआ श्रमिक/2012, बैकुण्ठपुर, दिनांक 11/09/2012
 क्र. 17617 क/बंधुआ श्रमिक/2012/बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधि.1973 की धारा
 13 (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सर्तकता समिति हेतु निम्नांकित शासकीय एवं
 अशासकीय सदस्यो का पुनर्गठन किया जाता है।

| | |
|--|--|
| 1 जिला कार्यपालन दण्डाधिकारी | कलेक्टर कोरिया उनके अनुपस्थिति में |
| 2 उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति अध्यक्ष | अति. कलेक्टर |
| 3 जिले में निवासरत अनु.जाति/जनजाति तीन व्यक्ति | (1) श्रीमती श्यामा कुर्रे (जि.पं.सदस्य) अ.जा. (2) श्री रामप्रताप (अध्यक्ष जं.पंण सोनहत) अ.ज.जा. (3) श्री यवत कुमार सिंह (सदस्य जि.पं.) अ.ज.जा. |
| 4 राज्य शासन द्वारा मनोनित अधिकारी | 1- पुलिस अधीक्षक, कोरिया (छ0ग0) 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया 3- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरिया |
| 5 जिले में निवास करने वाले समाजिक कार्य कर्त्ता | (1) श्री प्रकाश जायसवाल बैकुण्ठपुर (2) श्रीमती ओमेश्वरी राजवाडे (उपाध्यक्ष जिला पंचायत |
| 6 जिले में कार्यरत बैंक अधिकारी | (1) अग्रणी बैंक प्रबंधक (सेंट्रल बैंक बैकुण्ठपुर कोरिया |
| 7 समिति का संयोजक | (1) प्रभारी श्रमपदाधिकारी कोरिया (छ0ग0) |

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

कलेक्टर

कोरिया (छ0ग0)